



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
Govt. of Uttar Pradesh Undertaking
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN- 432201UP1999SGC024928

संख्या:-1102-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/19-18-अ0प्र0-07/18


दिनांक 27/04/2019

सूचना

विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं० 04/विसेआ/2018/ए0ई0, दिनांक 06.11.2018 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) इलेक्ट्रिकल, कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली० तथा जानपद के पदों पर चयनित किये गये निम्नांकित अभ्यर्थियों के विद्युत सेवा आयोग में प्रपत्र पूर्णता एवं बायोमेट्रिक मिलान पूर्ण होने की प्राप्त सूचना के अनुसार एवं प्रदेश में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के सन्दर्भ में मा० निर्वाचन आयोग से यथा प्राप्त अनुमति के दृष्टिगत नियुक्ति पत्र (ऑफर लेटर) सेवा शर्तों सहित स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये गये हैं:-

इलेक्ट्रिकल				
22032550171	21144550068	21144451451	21052850279	22093250255
22103550547	22022250162	22093250262	22103550939	21032450000
22062950119	22062950273	21144450721	21154650034	21073050008
22093250307	22144551327	21134350028	22012150262	21052850003
22103850093	22032450108	22062950189	22042650041	22062950312
22144550721	22022250206	21062950192	22144551131	22062950354
22103850091	21114150043	22012150014	22103850280	22103850011
कम्प्यूटर साइंस				
11032900053	11156200069	11115600670	11146101343	11125700181
11043200814	11094900310	11094800222	11105000736	11063700069
11146001465	11105100221	11115600294	11146101045	11156700164
इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली०				
12093700043	12083100248	12093800256	12093500832	12093500918
12093800285	12093800267	12114100039	12093500673	
12083000050	12022200056	12093800190	12104000452	
12083300172	12012100118	12032400022	12042600002	
जानपद				
11105400356				

1. प्रेषित किये गये नियुक्ति पत्र (ऑफर लेटर) का प्रारूप (मॉडल नियुक्ति पत्र) तथा निर्दिष्ट शर्तें एवं वॉंछित प्रपत्रों को कारपोरेशन की वेबसाईट पर इस आशय से अपलोड किया जाता है कि सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी तदनुसार आवश्यक सम्पूर्ण प्रपत्रों को तैयार कर विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, सरोजनी नगर (कानपुर रोड), लखनऊ में दिनांक 28 मई, 2019 को सुबह 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. विद्युत सेवा आयोग द्वारा प्रेषित परीक्षाफल में शेष बचे (* एवं #) तारांकित अभ्यर्थियों के साथ 03 अन्य अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विद्युत सेवा आयोग में प्रपत्र पूर्णता एवं बायोमेट्रिक मिलान होने के उपरान्त, कारपोरेशन स्तर से बाद में निर्गत किए जायेंगे।


(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

फोन नं० 0522-2218421 / 2287590 / 2218411

संख्या-1096-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/19-18-अ0प्र0-07/18

दिनांक 27 / 04 / 2019

SPEED POST

.....
.....
.....
MOB:
E-MAIL:.....

(मॉडल नियुक्ति पत्र)

विषय :- सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल) के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषय में मुझे यह सहर्ष कहने का निदेश है कि विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं०-04-विसेआ/2018/ए0ई0 द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल) के पद पर मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद सं० रिट-ए सं० 25012/2018 मिथिलेश कुमार गौतम एवं अन्य, रिट-ए सं० 1914/2019 अजय वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं रिट पिटीशन सं० 35527 (एस/एस)/2018 पवन कुमार गौड बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवा शर्तों के अधीन किया गया है।

2. आपका सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल) के रूप में प्रशिक्षण महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ होगा, जिसकी सूचना संस्थान द्वारा आपको अलग से दी जायेगी।
3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-1915-पें० एवं आर०-28/पाकालि/02-8-काविनी/2001, दिनांक 06.06.2003 में उल्लिखित अधिकारी/कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान आप पर लागू होंगे।
4. कार्यभार ग्रहण करने के समय आपको अपने पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने हैं :-

(1) **प्रमाणपत्र**

- (अ) पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति।
- (ब) अन्तिम विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की हो, के प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल-चलन एवं चरित्र का प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र)
- (स) दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी, जो आपके सम्बन्धी न हों) से प्राप्त "चरित्र प्रमाण पत्र"।
(दोनों आपसे भली-भांति परिचित हों एवं आपके विश्वविद्यालय, विद्यालय अथवा स्कूल से सम्बन्धित भी न हो।
- (द) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि।

- (ध) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त "कार्यमुक्ति पत्र", यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। "कार्यमुक्ति पत्र" के अभाव में आपको किसी भी दशा में कार्य भार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (न) मंडलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त "स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र"।
- (च) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रदत्त "जाति प्रमाण पत्र" (अनु० जा०/अनु० जन जा० के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-छ") व (अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-ज") (मूलरूप में)।

(2) घोषणा पत्र

- (अ) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुये। इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।
- (ब) ३० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ख' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (स) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता/असम्बन्धता संबंधी घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ग' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (द) शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में कार्यरत न होने अथवा कार्यरत होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (य) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में (परिशिष्ट "य")।
- (र) ३० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में (परिशिष्ट "य")।
- (ल) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट "य")।
- (व) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों में) परिशिष्ट 'झ' में निर्धारित प्रपत्र पर (4 सेट में)।

(3) बन्ध पत्र

बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न सेवा शर्तों में मद सं०-4 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। संलग्न सेवा शर्तों के मद सं०-4 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट 'च' के रूप संलग्न है। बन्ध पत्र नान ट्रान्सफरेबिल होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध पत्र की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

- 5 नियुक्ति सम्बन्धी संलग्न सेवा शर्तें यदि आपको स्वीकार हैं तो आप विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, (कानपुर रोड), लखनऊ में दिनांक 28 मई, 2019 को प्रातः 10 बजे अभिलेखों/प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थिति हों। उक्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में किसी के भी उपलब्ध न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- 6 यदि आप उक्त निर्धारित तिथि में वांछित अभिलेखों/प्रमाणपत्र के साथ सत्यापन कराने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- 7 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- 8 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये यह अस्थायी नियुक्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के प्रतिबन्धाधीन होगी।
- 9 भविष्य में आप द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख अथवा प्रमाणपत्र यदि फर्जी या कूट रचित पाये जाते हैं तो आपकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और इस हेतु आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)
कृते अध्यक्ष

संख्या:- 1096(1)अ0प्र0-07/पा0का0लि0/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित कर कारपोरेशन मुख्यालय के सूचनाधीन समस्त वितरण निगमों को सूचित करें।
2. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. व्यक्तिगत पत्रावली।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

फोन नं० 0522-2218421/2287590/2218411

संख्या-1097-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/19-18-अ0प्र0-07/18

दिनांक 27 / 04 / 2019

SPEED POST

.....

.....

.....

MOB:

E-MAIL:.....

(मॉडल नियुक्ति पत्र)

विषय :- सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (कम्प्यूटर साइंस) के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषय में मुझे यह सहर्ष कहने का निदेश है कि विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं०-04-विसेआ/2018/ए0ई0 द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (कम्प्यूटर साइंस) के पद पर मा० उच्च न्यायालय में योजित वाद सं० रिट-ए सं० 25012/2018 मिथिलेश कुमार गौतम एवं अन्य, रिट-ए सं० 1914/2019 अजय वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं रिट पिटीशन सं० 35527 (एस/एस)/2018 पवन कुमार गौड बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवा शर्तों के अधीन किया गया है।

2. आपका सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (कम्प्यूटर साइंस) के रूप में प्रशिक्षण महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ होगा, जिसकी सूचना संस्थान द्वारा आपको अलग से दी जायेगी।
3. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-1915-पें० एवं आर०-28/पाकालि/02-8-काविनी/2001, दिनांक 06.06.2003 में उल्लिखित अधिकारी/कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान आप पर लागू होंगे।
4. कार्यभार ग्रहण करने के समय आपको अपने पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने हैं :-

(1) **प्रमाणपत्र**

(अ) पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति।

(ब) अन्तिम विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की हो, के प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल-चलन एवं चरित्र का प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र)

(स) दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी, जो आपके सम्बन्धी न हों) से प्राप्त "चरित्र प्रमाण पत्र"।

(दोनों आपसे भली-भांति परिचित हों एवं आपके विश्वविद्यालय, विद्यालय अथवा स्कूल से सम्बन्धित भी न हो।

(द) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि।

- (ध) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त "कार्यमुक्ति पत्र", यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। "कार्यमुक्ति पत्र" के अभाव में आपको किसी भी दशा में कार्य भार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (न) मंडलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त "स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र"।
- (च) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रदत्त "जाति प्रमाण पत्र" (अनु० जा०/अनु० जन जा० के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-छ") व (अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-ज") (मूलरूप में)।
- (2) घोषणा पत्र
- (अ) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुये। इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।
- (ब) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ख' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (स) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता/असम्बन्धता संबंधी घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ग' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (द) शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में कार्यरत न होने अथवा कार्यरत होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (य) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में (परिशिष्ट "य")।
- (र) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में (परिशिष्ट "य")।
- (ल) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट "य")।
- (व) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों में) परिशिष्ट 'झ' में निर्धारित प्रपत्र पर (4 सेट में)।
- (3) बन्ध पत्र
- बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न सेवा शर्तों में मद सं०-4 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। संलग्न सेवा शर्तों के मद सं०-4 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट 'च' के रूप संलग्न है। बन्ध पत्र नान ट्रान्सफरेबिल होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध पत्र की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 5 नियुक्ति सम्बन्धी संलग्न सेवा शर्तें यदि आपको स्वीकार हैं तो आप विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, (कानपुर रोड), लखनऊ में दिनांक 28 मई, 2019 को प्रातः 10 बजे अभिलेखों/प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थिति हों। उक्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में किसी के भी उपलब्ध न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- 6 यदि आप उक्त निर्धारित तिथि में वांछित अभिलेखों/प्रमाणपत्र के साथ सत्यापन कराने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- 7 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- 8 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये यह अस्थायी नियुक्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के प्रतिबन्धाधीन होगी।
- 9 भविष्य में आप द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख अथवा प्रमाणपत्र यदि फर्जी या कूट रचित पाये जाते हैं तो आपकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और इस हेतु आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)
कृते अध्यक्ष

संख्या:- 1097(1)अ0प्र0-07/पा0का0लि0/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित कर कारपोरेशन मुख्यालय के सूचनाधीन समस्त वितरण निगमों को सूचित करें।
2. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. व्यक्तिगत पत्रावली।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

फोन नं० 0522-2218421 / 2287590 / 2218411

संख्या-1098-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/19-18-अ0प्र0-07/18

दिनांक 27 / 04 / 2019

SPEED POST

.....
.....
.....
MOB:
E-MAIL:.....

(मॉडल नियुक्ति पत्र)

विषय :- सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली0) के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषय में मुझे यह सहर्ष कहने का निदेश है कि विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं०-04-विसेआ/2018/ए0ई0 द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली0) के पद पर मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद सं० रिट-ए सं० 25012/2018 मिथिलेश कुमार गौतम एवं अन्य, रिट-ए सं० 1914/2019 अजय वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं रिट पिटीशन सं० 35527 (एस/एस)/2018 पवन कुमार गौड बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवा शर्तों के अधीन किया गया है।

2. आपका सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली0) के रूप में प्रशिक्षण महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ होगा, जिसकी सूचना संस्थान द्वारा आपको अलग से दी जायेगी।
3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1915-पें0 एवं आर0-28/पाकालि/02-8-काविनी/2001, दिनांक 06.06.2003 में उल्लिखित अधिकारी/कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान आप पर लागू होंगे।
4. कार्यभार ग्रहण करने के समय आपको अपने पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने हैं :-

(1) प्रमाणपत्र

- (अ) पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति।
- (ब) अन्तिम विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की हो, के प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल-चलन एवं चरित्र का प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र)
- (स) दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी, जो आपके सम्बन्धी न हों) से प्राप्त "चरित्र प्रमाण पत्र"।
(दोनों आपसे भली-भांति परिचित हों एवं आपके विश्वविद्यालय, विद्यालय अथवा स्कूल से सम्बन्धित भी न हों।
- (द) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि।

- (ध) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त "कार्यमुक्ति पत्र", यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। "कार्यमुक्ति पत्र" के अभाव में आपको किसी भी दशा में कार्य भार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (न) मंडलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त "स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र"।
- (च) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रदत्त "जाति प्रमाण पत्र" (अनु० जा०/अनु० जन जा० के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-छ") व (अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-ज") (मूलरूप में)।
- (2) घोषणा पत्र
- (अ) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुये। इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।
- (ब) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ख' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (स) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता/असम्बन्धता संबंधी घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ग' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (द) शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में कार्यरत न होने अथवा कार्यरत होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (य) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में (परिशिष्ट "थ")।
- (र) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में (परिशिष्ट "य")।
- (ल) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट "य")।
- (व) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों में) परिशिष्ट 'झ' में निर्धारित प्रपत्र पर (4 सेट में)।
- (3) बन्ध पत्र

बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न सेवा शर्तों में मद सं०-4 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। संलग्न सेवा शर्तों के मद सं०-4 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट 'च' के रूप संलग्न है। बन्ध पत्र नान ट्रान्सफरेबिल होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध पत्र की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

- 5 नियुक्ति सम्बन्धी संलग्न सेवा शर्तें यदि आपको स्वीकार हैं तो आप विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, (कानपुर रोड), लखनऊ में दिनांक 28 मई, 2019 को प्रातः 10 बजे अभिलेखों/प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थिति हों। उक्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में किसी के भी उपलब्ध न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- 6 यदि आप उक्त निर्धारित तिथि में वांछित अभिलेखों/प्रमाणपत्र के साथ सत्यापन कराने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- 7 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- 8 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये यह अस्थायी नियुक्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के प्रतिबन्धाधीन होगी।
- 9 भविष्य में आप द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख अथवा प्रमाणपत्र यदि फर्जी या कूट रचित पाये जाते हैं तो आपकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और इस हेतु आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)
कृते अध्यक्ष

संख्या:- 1098(1)अ0प्र0-07/पा0का0लि0/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित कर कारपोरेशन मुख्यालय के सूचनाधीन समस्त वितरण निगमों को सूचित करें।
2. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. व्यक्तिगत पत्रावली।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001
CIN: U32201UP19995GC024928
फोन नं० 0522-2218421 / 2287590 / 2218411

संख्या-1099-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/19-18-अ0प्र0-07/18

दिनांक 27 / 04 / 2019

SPEED POST

(मॉडल नियुक्ति पत्र)

MOB:

E-MAIL:.....

विषय :- सहायक अभियन्ता (प्रशिक्ष) (जानपद) के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषय में मुझे यह सहर्ष कहने का निदेश है कि विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं०-04-विसेआ/2018/ए0ई0 द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्ष) (जानपद) के पद पर मा० उच्च न्यायालय में योजित वाद सं० रिट-ए सं० 25012/2018 मिथिलेश कुमार गौतम एवं अन्य, रिट-ए सं० 1914/2019 अजय वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं रिट पिटीशन सं० 35527 (एस/एस)/2018 पवन कुमार गौड बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवा शर्तों के अधीन किया गया है।

2. आपका सहायक अभियन्ता (प्रशिक्ष) (जानपद) के रूप में प्रशिक्षण महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ होगा, जिसकी सूचना संस्थान द्वारा आपको अलग से दी जायेगी।
3. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-1915-पें० एवं आर०-28/पाकालि/02-8-काविनी/2001, दिनांक 06.06.2003 में उल्लिखित अधिकारी/कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि योजना एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान आप पर लागू होंगे।
4. कार्यभार ग्रहण करने के समय आपको अपने पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने हैं :-

(1) प्रमाणपत्र

- (अ) पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति।
- (ब) अन्तिम विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की हो, के प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल-चलन एवं चरित्र का प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र)
- (स) दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी, जो आपके सम्बन्धी न हों) से प्राप्त "चरित्र प्रमाण पत्र"।
(दोनों आपसे भली-भांति परिचित हों एवं आपके विश्वविद्यालय, विद्यालय अथवा स्कूल से सम्बन्धित भी न हो।
- (द) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि।

- (ध) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त "कार्यमुक्ति पत्र", यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। "कार्यमुक्ति पत्र" के अभाव में आपको किसी भी दशा में कार्य भार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (न) मंडलीय चिकित्सा परिषद से प्राप्त "स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र"।
- (च) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रदत्त "जाति प्रमाण पत्र" (अनु० जा०/अनु० जन जा० के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-छ") व (अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-ज") (मूलरूप में)।

(2) घोषणा पत्र

- (अ) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुये। इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।
- (ब) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ख' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (स) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता/असम्बन्धता संबंधी घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ग' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (द) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में कार्यरत न होने अथवा कार्यरत होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (य) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में (परिशिष्ट "य")।
- (र) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में (परिशिष्ट "य")।
- (ल) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट "य")।
- (व) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों में) परिशिष्ट 'झ' में निर्धारित प्रपत्र पर (4 सेट में)।

(3) बन्ध पत्र

बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। सेवा अनुबन्ध पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न सेवा शर्तों में मद सं०-4 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध पत्र के अभाव में आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। संलग्न सेवा शर्तों के मद सं०-4 के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बन्ध पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट 'च' के रूप संलग्न है। बन्ध पत्र नान ट्रान्सफरेबिल होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध पत्र की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

- 5 नियुक्ति सम्बन्धी संलग्न सेवा शर्तें यदि आपको स्वीकार हैं तो आप विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, (कानपुर रोड), लखनऊ में दिनांक 28 मई, 2019 को प्रातः 10 बजे अभिलेखों/प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित हों। उक्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों में किसी के भी उपलब्ध न होने अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- 6 यदि आप उक्त निर्धारित तिथि में वांछित अभिलेखों/प्रमाणपत्र के साथ सत्यापन कराने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
- 7 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- 8 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये यह अस्थायी नियुक्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के प्रतिबन्धाधीन होगी।
- 9 भविष्य में आप द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख अथवा प्रमाणपत्र यदि फर्जी या कूट रचित पाये जाते हैं तो आपकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और इस हेतु आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)
कृते अध्यक्ष

संख्या:- 1099(1)अ0प्र0-07/पा0का0लि0/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित कर कारपोरेशन मुख्यालय के सूचनाधीन समस्त वितरण निगमों को सूचित करें।
2. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. व्यक्तिगत पत्रावली।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)

**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर
नियुक्ति की सेवा शर्तें।**

1 प्रशिक्षण

आपकी प्रशिक्षण अवधि 12 माह की होगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर कारपोरेशन आपको सहायक अभियन्ता पद पर संवर्ग में नियुक्ति हेतु आपकी पद हेतु उपयुक्तता के प्रतिबन्ध के साथ विचार करेगा। प्रशिक्षण की समान अवधि 12 माह की होगी परन्तु कारपोरेशन को प्रशिक्षण अवधि कम करने अथवा बढ़ाने, जैसा कि उचित समझा जाये, का अधिकार होगा। यदि प्रशिक्षण कारपोरेशन की सन्तुष्टि के अनुरूप पूर्ण किया जाता है एवं आपकी सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति प्रशिक्षण की अवधि की तारतम्यता में की जाती है प्रशिक्षण अवधि की गणना सहायक अभियन्ता के वेतनवृद्धि हेतु की जायेगी।

प्रशिक्षण अवधि में आपका कार्यकलाप विभिन्न परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकित किया जायेगा। यदि आप तीन निरन्तर परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहते हैं, तो आपकी सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

आपकी कार्यदक्षता असन्तोषजनक होने पर आपकी प्रशिक्षण अवधि बढ़ाये जाने अथवा नियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

2 परिलब्धियां

प्रशिक्षण अवधि में आपको सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन लेवल-10 में न्यूनतम वेतन **रु० 56,100/-** अनुमन्य होगा। न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त आपको महंगाई भत्ता एवं कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3 कारपोरेशन में संविलीकरण

प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित संवर्ग में नियुक्ति हेतु आपकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिये आपको निर्धारित अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यदि आप उपरोक्त अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपका प्रशिक्षण अधिकतम दो वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जोकि आपके प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से आंकलित किया जायेगा एवं बढ़े हुए प्रशिक्षण की अवधि में आपको एक अवसर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रदान किया जायेगा परन्तु यदि आप द्वितीय परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी कारणवश द्वितीय परीक्षा में उपस्थित नहीं हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

4 सेवा अनुबन्ध -पत्र

क- इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू (Surety) जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं) को **रु० 100/-** मूल्य के नान-जुडिशियनल स्टैम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम तीन वर्षों तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण के उपरान्त 03 (तीन) वर्षों की सेवा अवधि में कारपोरेशन की सेवा छोड़ने

की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से Bond Money रू0 2,00,000.00 + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगे। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हों, से प्राप्त हैसियत प्रमाण भी आपको निष्पादित बन्ध पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में प्रदेश के बाहर के नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं का Bond Money रू0 2,00,000.00 + जी0एस0टी0 (लागू दर से) की धनराशि हेतु प्रतिभू (Guarantee), उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में, आ रही कठिनाई के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :-

- ख - (1) यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह एक नोटाराइज्ड एफीडेविट (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) इस आशय से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाये जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है।
- (2) यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू (Guarantor) नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से Bond Money रू0 2,00,000.00 एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) (वर्तमान में 18%) को सम्मिलित करते कुल रू0 2,36,000.00 की सावधि जमा पत्र (Fixed deposit) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्षों की सेवावधि अर्थात् कुल-04 वर्षों की अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी पड़ेगी, के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5 कार्य ग्रहण करने सम्बन्धी अन्य सामान्य निर्देश

1. प्रशिक्षण अवधि में एवं तत्पश्चात् सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्त होने पर कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर इस चयन में चयनित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित सेवा नियम, आदेश एवं विनियम आप पर लागू होंगे।
2. सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. प्रशिक्षण से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने अथवा परीक्षा में असफल होने की दशा में आपकी प्रशिक्षण अवधि बढ़ायी जा सकती है जिसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता के संवर्ग में आपके बैच में आपकी ज्येष्ठता का ह्रास होगा।
4. आप राज्य में कहीं भी, जैसा कि सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर उपयुक्त समझा जाये एवं तय किया जाये, तैनात/स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।
5. आपकी नियुक्ति आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में आपकी नियुक्ति, प्रशिक्षण की अवधि अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय बिना कारण बताये हुये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

बन्ध पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश

प्रतिभूति बन्ध:-

1. बन्ध पत्र रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए यदि रू0 100/- के स्टाम्प पेपर 1 पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हो तो, ऐसी दशा में 2 या 3 (शीट्स) जो कम मूल्य के हो परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 100/- हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
2. अभियन्ता और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने (शीट्स) सहित, यदि कोई हो, बन्ध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
3. बन्ध पत्र पर किसी प्रकार की कांट-छांट, परिवर्तन अथवा पुर्नलेखन इत्यादि होने पर, प्रत्येक ऐसे स्थान पर अभियन्ता एवं प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए।
4. प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता व पद नाम का उल्लेख, उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए।
5. वह दिनांक, जब बन्ध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात् बन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय अभियन्ता को ही स्वयं वहन करना होगा।
6. बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा अभियन्ता एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए।
7. अभियन्ता और प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए।
8. प्रतिभू उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख) के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए तथा इसके प्रमाण हेतु बन्ध पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त "ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र" जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का न हो, संलग्न किया जाना चाहिए।
9. यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू (Guarantor) नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से Bond Money रू0 2,00,000.00 एवं जी0एस0टी0 (लागू दर से) (वर्तमान में 18%) को सम्मिलित करते कुल रू0 2,36,000.00 की सावधि जमा पत्र (Fixed deposit) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्षों की सेवावधि अर्थात् कुल-04 वर्षों की अवधि के लिए कारपोरेशन में बन्धक रखनी पड़ेगी, के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा पत्र

(क) उनके लिए जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतद् पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की घोषणा में करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

(क) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ।

भूमि सम्पदा

सम्पत्ति जहाँ है।			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जनपद	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह सम्पदा

गृह जहाँ स्थित है।			गृह संख्या	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उनके अर्जन का दिनांक	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किराये पर दिया है ?	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
क्र० सं०	ग्राम नगर उप नगर	जनपद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित के दिनांक को जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

टिप्पणी:—अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बंधक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रबन्धित की गई समझी जाएगी।

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) का स्वामी/की स्वामिनी नहीं है। यदि एतदपश्चात् मैं कोई हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या जमा पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

(घ) उनके लिए जो हिस्से (Shares) के स्वामी/स्वामिनी है या किसी अन्य जमा पूंजी (Investment) है।

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूंजी रखता/रखती हूँ :-

हिस्से (Shares)

क्र० सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्सों का मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

(3)

जमा पूंजी (Investment)

क्र०सं०	विवरण	पूंजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या अन्य कही पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

चल सम्पत्ति

(च) केवल उनके लिए जिनके पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है । यदि मैं एतदपश्चात् कोई चल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की घोषणा में घोषित करूंगा/करूंगी ।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

(छ) उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति है ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की चल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ ।

क्रम संख्या	सम्पत्ति का विवरण	क्रय धारण करने की तिथि	मूल्य	क्या क्रय/धारण करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गई थी? यदि हाँ तो उस अनुज्ञा की संख्या तथा दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

चल सम्पत्ति का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक चल सम्पत्ति से है जिसका मूल्य कर्मचारी के एक माह का वेतन, या उससे से अधिक है ।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक :

निष्ठा की शपथ

मैं एतद्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन अपनी सेवा अवधि में मैं कारपोरेशन की सेवा में अपने को सदैव निष्ठा व श्रद्धापूर्वक लगाए रखूंगा तथा उसके कार्य-कलापों की पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप में जानकारी में आयी किसी भी सूचना के प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री
श्री निवासी (पूरा पता)
.....
.....

एतद्वारा घोषित करता हूँ कि :-

- (क) मैं न तो किसी ऐसे राजनीतिक दल/संस्था का सदस्य हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो,
- (ख) और ना ही किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा संस्था से सहानुभूति अथवा सम्बन्ध रखता हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हों,
- (ग) और ना ही भविष्य में उनसे कोई सम्बन्ध/मेल जोल अथवा सहानुभूति रखूंगा।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

परिशिष्ट "घ"

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत न होने की दशा में)

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं हूँ। इस सूचना के मिथ्या पाये जाने पर मेरी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय संस्था/उपक्रम में कार्यरत होने की दशा में)

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं
के विभाग में सेवारत था। मैं अपने पूर्व नियोजक द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) (इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साईंस/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन्स) के रूप में सेवा आरम्भ करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया हूँ। कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र एतद्वारा संलग्न है।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

(अभियन्ता द्वारा रू0 100/-के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

बन्ध पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री
 पुत्र/पुत्री श्री अस्थायी सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) जो उ0प्र0
 पावर कारपोरेशन लि0, के नियुक्ति पत्र सं0 दिनांक में वर्णित
 शर्तों के अधीन सेवा कर रहे हैं। (एतदपश्चात् “अभियन्ता ” कहलायेंगे) एवं
 श्री पुत्र/पुत्री श्री
 निवासी (एतदपश्चात् “प्रतिभू ” कहलायेंगे) एतद्वारा आबद्ध
 होते हैं कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं
 व्यक्तिगत रूप से,) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को (एतद पश्चात् “कारपोरेशन” कहलायेंगे) मांगे
 जाने पर रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख) + जी0एस0टी0 (लागू दर से) मात्र देने के बन्ध पत्रित
 होंगे ।

दिनांक मास वर्ष

हस्ताक्षरित

अभियन्ता के हस्ताक्षर

प्रतिभू के हस्ताक्षर

यतः कारपोरेशन ने अभियन्ता को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार स्थायी सहायक
 अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्त किया है ।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वास्त करने के आशय से कि अभियन्ता स्वयं अपनी ओर
 से कारपोरेशन की सेवाओं को, प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित संवर्ग में सहायक
 अभियन्ता के रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष पश्चात् तक नहीं छोड़ेगा, अभियन्ता यह बन्ध
 पत्र निष्पादित करता है, अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि अभियन्ता अपने
 प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित संवर्ग में सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्ति
 के दिनांक से तीन वर्ष पश्चात् तक कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की
 पूर्व अनुमति लिये बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस दशा में अभियन्ता और/अथवा
 प्रतिभू कारपोरेशन के मांगे जाने पर बन्ध-पत्र में वर्णित धनराशि का अविलम्ब भुगतान करेंगे तथा
 उसके (अभियन्ता) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के
 उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्ध होगा कि यदि कारपोरेशन, अभियन्ता की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित
 नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा ।

साक्षी:

- 1.
- 2.

हस्ताक्षरित

अभियन्ता

प्रतिभू

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिये
जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री
निवासी/ग्राम तहसील नगर
..... जिला उत्तर प्रदेश राज्य की
..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,
1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति,
उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के रूप
में मान्यता दी गई है ।

श्री /श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम
तहसील नगर जिला
..... में सामान्यता रहता है

स्थान:
दिनांक:
मुहर:

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम
पद नाम
जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट,
यदि कोई हो, जिला समाज कल्याण
अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री
 निवासी/ग्राम तहसील नगर
 जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी
 जाति के व्यक्ति है । यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
 जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (अधिनियम-1994) की अनुसूची
 -1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 उक्त अधिनियम-1994 को अनुसूची-2 से आच्छादित नहीं है ।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा परिवार उत्तर
 प्रदेश के ग्राम तहसील जिला
 में सामान्यता रहता है ।

स्थान:

दिनांक:

मुहर:

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद नाम

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी /

सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट /

तहसीलदार

घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... निवासी ग्राम
पोस्ट तहसील जिला
..... राज्य एतद्वारा घोषित करता

हूँ कि :-

(क) (1) मैं अविवाहित हूँ।

अथवा

(1) मैं विवाहित हूँ तथा मेरी/मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं है। मेरी पत्नी/मेरे पति का नाम पुत्री/पुत्री श्री
ग्राम जिला राज्य है।

(2) मेरा अपनी पत्नी/मेरा अपने पति से तलाक नहीं हुआ है और न ही तलाक/सम्बन्ध-विच्छेद सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रक्रिया में है।

(3) यदि तलाक हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न करें।

(ख) कारपोरेशन में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कार्मिक से मेरा किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि हैं तो पूर्ण विवरण दें।

सम्बन्धी अधिकारी/कार्मिक से सम्बन्ध एवं उनका नाम
पदनाम/पता

(ग) मैं किसी सरकारी संस्था/बैंक/संस्थान अथवा अन्य से पूर्ण रूप से ऋण मुक्त हूँ यदि है तो पूर्ण विवरण दें

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001
फोन नं० 0522-2218421 / 0522-2287590

परिशिष्ट - 'अ'
(अपने स्तर से कुल 4 सेट में पूर्ण भरा जायेगा)

साक्ष्यांकन प्रपत्र

चेतावनी

- (1) इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को छिपाना किसी भी अभ्यर्थी को अनर्ह व उसे सेवायोजन दिए जाने के लिए अयोग्य कर सकता है।
- (2) इस प्रपत्र को भरकर देने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कभी हवालात में रखा गया हो, सजा दी गई हो या विवर्जित किया गया हो तो उसका विवरण उसे तुरन्त देना चाहिए और इसका उल्लेख न करने की दशा में, इसे वास्तविक सूचना को छिपाना माना जाएगा।

फोटो

- 1 अनुक्रमांक:..... विधा.....
- 2 (क) पूरा नाम (हिन्दी में)..... उपनाम (यदि कोई हो).....
(ख) पूरा नाम (अंग्रेजी के Capital letter में).....
- 3 पिता का पूरा नाम..... उपनाम (यदि कोई हो).....
व्यवसाय..... वार्षिक आय.....
माता का पूरा नाम..... उपनाम (यदि कोई हो).....
पत्नी/पति का पूरा नाम..... उपनाम (यदि कोई हो).....
- 4 (क) लिंग(पु०/स्त्री)..... (ख) विवाहित/अविवाहित.....
- 5 (क) जाति..... (ख) उपजाति.....
- 6 (क) पिता की राष्ट्रीयता..... (ख) माता की राष्ट्रीयता.....
(ग) पत्नी की राष्ट्रीयता..... (घ) पति की राष्ट्रीयता.....
- 7 जन्म स्थान [स्वयं का].....
पति/पत्नी का [यदि विवाहित हो] जन्म स्थान.....

- 8 (अ) गृह जनपद का नाम, जहाँ का रहने वाला/वाली हो.....
 (ब) स्थाई निवास का पूरा पता :

	हिन्दी में	अंग्रेजी में (Capital Letter में)
मकान/गृह संख्या :		
गली/मोहल्ला :		
नगर/ग्राम :		
तहसील :		
डाकघर :		
जिला/राज्य :		
पिन कोड :		
थाना :		
जिला प्रमुख का पदनाम/पता :		
जिला पुलिस प्रमुख का पदनाम/पता :		

- 9 निवास प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम :पिन कोड.....
 10 जाति प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम :पिन कोड.....

यदि मूल रूप में पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश के उसके सभी पते व भारत में आब्रजन की उसकी तिथि भी वार्णित की जानी चाहिए।

- 11 टेलीफोन/मोबाइल नं० :
 (परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)
- 12 ई०मेल आई०डी० :
 (परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)
- 13 पत्राचार का पूरा पता (यदि स्थाई पता पत्राचार का पता है तो इंगित करें):

14 पिछले पाँच वर्षों में पते :

क्र०सं०	दिनांक में	दिनांक तक	पता
1			
2			
3			
4			
5			

15 (क) जन्म तिथि (शब्दों/अंकों में) यदि अभ्यर्थी हाईस्कूल/समकक्ष पास है तो प्रमाण-पत्र अनुसार उसका उल्लेख करे :

(ख) आयु : (दिनांक 01 जुलाई, 2018 को)

16 शैक्षिक अर्हतायें अभ्यर्थी ने हाईस्कूल/समकक्ष से जिन स्कूल या कालेजों में शिक्षा पाई हो उनका उल्लेख उत्तीर्ण होने के वर्ष सहित करें।

स्कूल/कालेज/ विश्वविद्यालय का नाम व पूरा पता	शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा जो उत्तीर्ण की	उत्तीर्ण करने का वर्ष

17 उस कार्यालय या फर्म का पूरा पता विवरण* व पता जहाँ अभ्यर्थी पहले कार्य कर चुका हो या कार्य कर रहा हो

पद का नाम व कार्य का विवरण	प्रवेश की तिथि		कार्यालय फर्म या संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा को छोड़ने का कारण
	दिनांक से	दिनांक तक		

* यदि उपरोक्त विवरण के लिये अधिक स्थान की आवश्यकता हो तो पृथक शीट संलग्न करें-

18 मोहल्ले के दो प्रतिष्ठित (जो सम्बन्धी न हो) व्यक्तियों के नाम व पते जिन्हें अभ्यर्थी के बारे में जानकारी हो :-

(1) नाम व्यवसाय.....
पता

(1) नाम व्यवसाय.....
पता

19 (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार, सजा, हवालात, परिबन्धित, अर्थदण्ड दिया गया है या किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन में भाग लेने से विवर्जित/अनर्ह किया गया है या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से विवर्जित या रेस्ट्रिकेट किया गया हो।

(ख) क्या इस साक्ष्यांकन प्रपत्र को भरते समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था के अधीन कोई मामला विचाराधीन है।

टिप्पणी :-

- (1) यदि उपरोक्त (क) या (ख) का उत्तर हाँ है तो इस प्रपत्र को भरते समय ऐसे मामले का पूरा विवरण गिरफ्तारी, हवालात, अर्थदण्ड, सजा इत्यादि व किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय/शैक्षिक अधिकारी के अधीन लम्बित मामले इत्यादि का पूरा विवरण दें।
- (2) इस प्रपत्र के आरम्भ में दी गई चेतावनी को भी देखें।

अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे किन्ही भी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जो कारपोरेशन के अधीन मेरे सेवायोजन में बाधक सिद्ध हो सकती है।

दिनांक :

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम (पूरा).....

.....

CERTIFICATE No.

Date

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kum son/ wife/daughter of Shri age /sex identification mark (c) is suffering from permanent disability of following category.

- A. Locomotor or cerebral palsy :
 - (i) BL-Both legs affected but not arms.
 - (ii) BA-Both arms affected
 - (a) Impaired reach.
 - (b) Weakness of grip.
 - (iii) BLA-Both legs and both arms affected
 - (i) Impaired reach.
 - (b) Weakness of grip.
 - (c) Ataxic.
 - (v) OA-On arm affected
 - (a) Impaired reach.
 - (b) Weakness of grip.
 - (c) Ataxic.
 - (vi) BH-Stiff back and hips (cannot sit or stoop)
 - (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

- B. Blindness or Low Vision:
 - (i) B-Blind
 - (ii) PB-Partially Blind.

- C. Hearing impairment:
 - (i) D-Deaf
 - (ii) PD-Partially Blind.

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of the case is not recommended/is recommended after a period of _____ years _____ months.*

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Sh./Smt/Kum meets the following physical requirement for discharge of his/her duties.

- (i) F-can perform work by manipulating with fingers. Yes/No.
- (ii) PP-can perform work by pulling and pushing. Yes/No.
- (iii) L-can perform work by lifting. Yes/No.
- (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching. Yes/No.
- (v) B-can perform work by bending. Yes/No.
- (vi) S-can perform work by sitting. Yes/No.
- (vii) ST-can perform work by standing. Yes/No.
- (viii) W-can perform work by walking. Yes/No.
- (ix) SE-I can perform work by seeing. Yes/No.
- (x) H-can perform work by hearing/speaking. Yes/No.
- (xi) RW-can perform work by reading and writing. Yes/No.

(Dr) Member Medical Board	(Dr) Member Medical Board	(Dr) Member Medical Board
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Countersigned by the
Medical Superintendent/CMO/Head of
Hospital (with seal)

*Strike out which is not applicable.